



## जैन पुराणों में उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य

डॉ. राखी गुप्ता

व्याख्याता अर्थशास्त्र विभागे 1351, संन्तो । सदन वर्क्ट नगर, जयपुर

### KEYWORDS

18वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप उद्योग धन्दों का विकास तीव्र गति से हुआ जिनमें यंत्रों संयंत्रों और मशीनों का उपयोग मुख्य रूप से होता है। इनमें लघु और बड़े उद्योगों को उनके पूँजी—निवेश के आधार पर विभाजित किया जाता है। आलोचित पुराणों में कारखाना पद्धति के अनुसार औद्योगिक साम्राज्य का उल्लेख भले ही ना हो पर सामूहिक उद्यमिता और बड़े पैमाने पर उत्पादन अवश्य होता था जहाँ बहुत सारे श्रमिक और कर्मचारी कार्य करते थे जिनकी तुलना बर्तमान की औद्योगिक इकाईयों से की जा सकती है।

समीक्षित पुराणों में व्यापारी के लिए वणिक और व्यापार के लिए वणिज एवं प्रयुक्त हुआ है। उस समय भारत के उद्योग—धन्दों काफी विकसित अवस्था में थे। अनेक राजपूत राज, और जैसे पाल, परमार प्रतिहार, रा द्रवट, चौहान, चौल एवं चालुक्य वंशों के गासकों ने अनेक उद्योग धन्दों के विकास में अहम भूमिका निभाई थी जिससे अनेक प्रकार के उद्योग धन्दों जैसे वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, जवाहरत उद्योग आदि की काफी प्रगति हुई।

आलोचित पुराणों के वर्णनों से वस्त्र उद्योग की उन्नति का पता चलता है। कपड़े कपास, ऊन, रेशम आदि पदार्थों से बनते थे। बनारस एवं मथुरा रेशमी और सूती वस्त्रों के प्रमुख केन्द्र बन गये थे। बुनकर, दर्जी और रंगेज भी इस व्यवसाय से संबंधित थे। कपड़ों की रंगाई और छार्पाई भी भारत में बहुत श्रे ठ की जाती थी। बंगाल, गुजरात और पैठन के बने हुए कपड़े दूर—दूर तक प्रसिद्ध थे। अब यात्री सुलेमान ने लिखा है कि बंगाल में बनाया गया सूती कपड़ा इतना अधिक बारीक था जैसा कि अन्य किसी देश में तैयार नहीं किया जाता था। इसके अतिरिक्त मग्द, कामरूप, कलिंग, कश्मीर, मुलान, मध्य—प्रदेश और दक्षिण—भारत के विभिन्न स्थानों पर भी बहुत श्रे ठ और विभिन्न प्रकार के कपड़े तैयार किये जाते थे। कौलिक लोग वस्त्र बुनने का कार्य करते थे।

आलोचित पुराणों के अनेक विवरणों से तत्कालीन युग के समुन्नत वस्त्रोदयोग पर प्रकाश पड़ता है। इस समय वर्त्रों पर सूती एवं रेशमी धागों से कढाई का काम खूब होता था। विविध रंगों से रंगाई का काम करके रंगीन वस्त्र विर्मित किये जाते थे। बादली रंग के वस्त्र, गोरुए वस्त्र, लाल रंग के साफे, आदि से इसकी पुष्टि ट होती है। बहुमूल्य वस्त्रों को सुरक्षात्मक दृष्टि ट से पाटल में रखा जाता था। पुरु गों के प्रधान वस्त्र उत्तरीय तथा अधोवस्त्र थे।

### व्यापार एवं वाणिज्य<sup>4</sup> —

क्रय—विक्रय को व्यापार और इन गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति को व्यापारी कहा जाता है। व्यापार करना वाणिज्य है। वाणिज्य का अर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। आदिपुराण में आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति इन चार विद्याओं का उल्लेख आया है तथा कृष्ण, पूँपालन एवं वाणिज्य को वार्ता कहा गया है। कौटिलीय अर्थात् स्त्र में भी वार्ता की व्याख्या कृष्ण, पूँपालन और व्यापार के रूप में की गयी है। धान्य, पूँपालन एवं व्यापार के उत्पत्ति का साधन वार्ता है। वार्ता के अभाव में आर्थिक समृद्धि सम्भव नहीं है। जहाँ कृष्ण, पूँपालन और वाणिज्य व्यवसायों की उत्पत्ति न हो वहाँ भी की आर्थिक उन्नति कमी नहीं हो सकती। इसी कारण आदिपुराण में वाणिज्य व्यवसाय के साथ पूँपालन और पूँपालन को महत्व दिया गया है।<sup>5</sup>

दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे नमक, मसाले, कपड़े आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता, गासक वर्ग के लिये विभिन्न विलासित की वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान—प्रदान तथा व्यापारी वर्ग की लाभ प्राप्ति की आकांक्षा के कारण व्यापार किया जाना अनिवार्य था। इस कारण विभिन्न स्थानों

पर उत्पन्न वस्तुएँ देश के एक भाग से दूसरे भाग में भेजी जाती थी और विभिन्न स्थानों ने स्थानीय वस्तुओं के उत्पादन में खाती प्राप्त कर ली थी।<sup>6</sup>

विनियम के लिए क्रय एवं प्रयुक्त हुआ है पुराणों में वस्तुओं के क्रय—विक्रय करने का वर्णन तो आया है परन्तु इसका माध्यम क्या था इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं आया है। कहीं—कहीं इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य मिलती है। चारोंदत्त नामक विशिक अपनी स्त्री तथा माता के आभू गों को लेकर व्यापार के लिए जाता है तथा कपास खरीदता है। एक अन्य प्रसंग में बलदेव ने बाजार में अपना कड़ा और कुण्डल देकर उससे खाने—पीने की सामग्री खरीदी। इससे यह आभास होता है कि उस समय रवणीभू गों भी क्रय—विक्रय का माध्यम रहा होगा। मुख्य रूप से कोङ्डी, स्टीटक मणि एवं दीनार आदि का उल्लेख आया है।

आलोचित पुराणों में कुछ व्यापारियों के उल्लेख भी मिलते हैं। अयोध्या नगरी में एक सुरेन्द्र दत्त नामक सेठ रहता था जो 32 करोड़ दीनारों का धनी था तथा वह व्यापार करने के लिए बाहर चला गया। वह दीनार दान में देता था। उत्तरपुराण में उल्लेख आया है कि सुमुख सेठ ने वीरदत्त को व्यापार हेतु बारह वर्ष के लिए बाहर भेज दिया था। कोई एक विशिक अपना खरीदा हुआ माल बेचने के लिए अमूल्य मणि लेकर राजा जरासंध से मिलने गया। तत्कालीन समय वाणिज्य सफल था तथा राज्य व्यापारियों के क्रय—विक्रय की अधिकता से अत्यधिक सम्पन्न था।<sup>7</sup>

व्यापारी दो प्रकार के बताये गये हैं — 1. स्थानीय व्यापारी 2. सार्थवाह

ग्राम—नगर के बाजारों में नियत उपभोग की तथा अन्य सभी वस्तुएँ उपलब्ध रहती थी। राजमार्गों तथा चौराहों पर भी खाने—पीने की चीजें मिल जाया करती थीं। अलग—अलग वस्तुओं के लिए अलग—अलग बाजार भी होते थे तथा अनेक दुकानें वस्तु—विशेष के लिए ही होती थीं। स्थानीय व्यापारी के तीन प्रकार बताये गये हैं — विशिक, गाथापति और श्री ठी।

विशिक के अन्तर्गत 'वणि', विवणि और 'कक्खपुडिय' के तीन भेद मिलते हैं। एक ही स्थान पर दुकान लगाकर बैठकर व्यापार करने वाले वणि, घूम पर व्यापार करने वाले विवणि और बगल में माल की गठरी लेकर व्यापार करने वाले कक्खपुडिय विशिक कहलाते थे। इस प्रकार के सामान्य व्यापारी बहुतायत में पाये जाते थे। गाथापति और श्री ठी सम्पन्न वर्ग के व्यापारी होते थे। ये व्यापार के अतिरिक्त भी बहुत सारे काम—दान्धे करते थे तथा व्यापार भी बहुत सारे काम—दान्धे करते थे। सार्थवाह अपने व्यापार के अतिरिक्त भी बहुत सारे काम—दान्धे करते थे। सार्थवाह अपने खान—पान और सुख—सुविधाओं का पूरा खाल रखते थे। सार्थवाह अधिकांश रूप से विभिन्न प्रकार के मात्री माणिकयादि तथा सोने—चौड़ी आदि का व्यापार करते थे। सार्थवाह धन, ऐश्वर्य तथा सेना, गुप्तचर आदि से सम्पन्न होते थे। सार्थवाहों का वर्ग व वासने में वापस लौटता था अतः उनके साथ क्रय—विक्रय की वस्तुओं के अतिरिक्त भोजन, पान आदि भी प्रचुर परिमाण में सचित

कभी—कभी व्यापारी लोग बड़े—बड़े समूह में सार्थवाह के रूप में व्यापार के लिए जाया करते थे और अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैहुका कर काफी लाभ करते थे। देवी और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने में सार्थवाहों का अहम योगदान रहता था। सार्थवाह अपने प्रस्तुति को विविध वर्गों में विभाजित करता था तथा यात्राओं से पूर्व उनका सुरक्षात्मक दृष्टि ट से उनकी सुरक्षा करता था। सार्थवाह अपने खान—पान और सुख—सुविधाओं का पूरा खाल रखते थे। सार्थवाह अधिकांश रूप से विभिन्न प्रकार के मात्री माणिकयादि तथा सोने—चौड़ी आदि का व्यापार करते थे। सार्थवाह धन, ऐश्वर्य तथा सेना, गुप्तचर आदि से सम्पन्न होते थे। सार्थवाहों का वर्ग व वासने में वापस लौटता था अतः उनके साथ क्रय—विक्रय की वस्तुओं के अतिरिक्त भोजन, पान आदि भी प्रचुर परिमाण में सचित

रहते थे। हमारे इस कथन की पुर्ण ट मेरुदंपत्ति नामक सेठ के आख्यान से होती है। यह सेठ व्यापारी, समुदायसंघ का अधिपति था और इसी के परामर्श से संघ का संचालन होता था। दु कर और विकट राहों पर दो-दो सार्थवाह भी साथ-साथ चलते थे। पॉच प्रकार के सार्थ बताये गये हैं :

- 1- भण्डी : इसमें माल ढोने के लिए टक आदि यान होते थे।
2. बहलिका : इसमें भारवाही पशु ऊंट, घोड़े, बैल, खच्चर आदि होते थे।
3. भारवह : इस प्रकार के सार्थ में यात्री अपना भार स्वयं ढोते थे।
4. ओदरिका : इसमें श्रमिकों का साथ होता था, जो उनकी आजीविका के लिए घूमते थे।
5. कार्याटिका : इसमें भिक्षुओं और साधु-साधियों का सार्थ होता था। तत्कालीन समय के व्यापार, व्यवसाय और उद्योगों के विकास में सार्थ का अत्यधिक महत्व था।

श्रीभूति नामक पुरोहित सिंहपुर नगर की समस्त दिशाओं में भाण्डशालाएं बनवाकर व्यापारी वर्ग का बहुत विश्वास पात्र बन गया था। पद्मखण्ड नामक नगर में सुमित्र दत्त नामक वणिक रहता था। वह अपने पॉच रत्न श्रीभूति पुरोहित के पास रखकर जहाज द्वारा कहीं गया था।

पशुओं का व्यापार भी किया जाता था। ग्वाले गाय, बैल आदि पशुओं को खरीदते थे और अधिक कीमत पर उन्हें बेचते थे। इस खरीद विक्रय में एक प्रतिभूति जामिनदार भी होता था, जिसकी जमानत पर भवेशी को खरीदा जाता था। अतएव यह स्पष्ट है कि व्यापार – व्यवसाय का कार्य पर्याप्त समृद्ध था।

इस काल में व्यापार उन्नत अवस्था में था। विदेशों से व्यापार किया जाता था तथा व्यापार के लिये विदेश भी जाया जाता था। व्यापार स्थलमार्ग और जलमार्ग दोनों द्वारा सम्पादित होता था। अन्तः देशीय व्यापार में हाथी, बैल, घोड़े आदि साधनों का प्रयोग एवं विदेशी व्यापार में नाव, जहाजों का प्रयोग होता था। आदिपुराण में पतन पतन और द्रोण मुख नामों के उल्लेख से जलमार्ग से व्यापार का संकेत मिलता है। चारुदत्त की व्यापार यात्रा में जहाज के छह बार फटने का उल्लेख है। श्रीपाल की जलयात्राएँ भी व्यवसायियों के जल व्यापार को सूचित करती हैं। इसी सन्दर्भ में व्यापारियों की नौकाओं का मार्ग में टूट जाना, औंधी तूफानों में नौकाओं का फंस जाना आदि समुद्री व्यापारियों की अनेक मार्गगत कठिनाइयों का उल्लेख भी आया है।<sup>9</sup>

पुराणों से यह ज्ञात नहीं होता है कि दो युद्धरत देशों के बीच यातायात एवं वाणिज्य-व्यापार सम्बन्ध कैसे सम्पन्न होते थे। संभवतया आवागमन निर्दिष्ट या नियमित हो जाता हो क्योंकि कुछ उल्लेखों से ऐसा संकेत मिलता है कि राज्य में विदेशियों पर दृष्टि ट रखने के लिए कर्मचारी नियुक्त होते थे और अमित्र देशों में आवागमन पर प्रतिबन्ध रहता था। गान्ति काल में वणिक-व्यापारियों द्वारा अपनी राज्य सीमा से बाहर अन्य देशों में व्यापार करने से स्पष्ट होता है कि विभिन्न राज्यों में गान्तिकाल में आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता था वाणिज्य-व्यापार अबाध गति से होता था।<sup>10</sup>

#### सन्दर्भ सूची

- 1<sup>a</sup> आचार्य रवि ०३ : पदम पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006.24 / 58-59
- 2<sup>a</sup> आचार्य रवि ०३ : पदम पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006, 3 / 23
- 3<sup>a</sup> आचार्य रवि ०३ : पदम पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006, 27 / 67
- 4<sup>a</sup> आचार्य रवि ०३ : पदम पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006, 27 / 32
- 5<sup>a</sup> आचार्य रवि ०३ : पदम पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006.45 / 67
- 6<sup>a</sup> आचार्य रवि ०३ : पदम पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006, 16 / 240
- 7<sup>a</sup> आचार्य रवि ०३ : पदम पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006, 27 / 31
- 8<sup>a</sup> आचार्य रवि ०३ : पदम पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006, 3 / 198
- 9<sup>a</sup> आचार्य रवि ०३ : पदम पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006.3 / 198.
- 10<sup>a</sup> आचार्य रवि ०३ : पदम पुराण, सम्पादक व अनुवादक – डॉ. पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य, प्रकाशक – भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2006, 3 / 296